संख्या-2461/X-2-2008-12(12)/2007

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 20 अगस्त, 2008

विषयः-अनुदान सं0-30 "एस0सी0एस0पी0" के अन्तर्गत वन विभाग की आयोजनागत पक्ष की "सिविल एवं सोयम वनों का विकास" योजना में हेतु वर्ष 2008-09 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-नि.1415/35-1(अनु.जा.उपयोजना) दिनांक 16 अप्रैल, 2008, पत्र सं0-नि.1704/35-1(अनु.जा.उपयोजना) दिनांक 22 जून, 2008, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद के पत्र सं0-370/एस0सी0पी0 दिनांक 21 जून, 2008 तथा पत्र सं0-396/एस0सी0पी0 दिनांक 28 जून, 2008 तथा शासन के पत्र सं0-2461/X-2-2008-12(12)/2007 दिनांक 04 अगस्त, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की **"सिविल एवं सोयम वनों का विकास"** योजना की अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में **रू0 4,79,56,000/- (रू0 चार करोड़ उन्यासी लाख छप्पन हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय. धनराशि का आहरण एवं व्यय करने से पूर्व योजना के भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों, योजना की क्रियान्वयन अवधि, योजना की लागत की सापेक्ष प्रगति/उपलब्धि का परीक्षण एवं विश्लेषण कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आहरण/ व्यय करना योजना के हित में है तथा वित्तीय दृष्टिकोण से उचित है.
2. उक्त स्वीकृत धनराशि फील्ड में सम्बन्धित अधिकारियों के निवर्तन पर रख दी जाय तथा उपयोजना के अन्तर्गत वर्तमान में विचाराधीन / चयनित कार्यों से विगत वर्ष में विभाग एवं लक्ष्य समूह को प्राप्त उपलब्धि की स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए व्यय सम्बन्धी स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय।
3. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008, तथा वित्त विभाग के पत्र सं0-326/XXVII(1)/2008, दिनांक 23 अप्रैल, 2008 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी.एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबन्धों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
4. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.

क्रमशः.....2

5. कार्यों की डुप्लिकेसी रोकने तथा एक ही स्थल पर अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के चयन होने की सम्भावना समाप्त करते हुए भौतिक सत्यापन / स्थलीय निरीक्षण की समग्र रिपोर्ट विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाय.
6. योजना / परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान सं0-30 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 02-''अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान'' 0203-सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना की निम्नलिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगाः-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
24-बृहत निर्माण कार्य	38356
29-अनुरक्षण	9600
योग	**47956**

(रू0 चार करोड़ उन्यासी लाख छप्पन हजार मात्र)

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-141(P)/XXVII(4)/2008, दिनांक 23 जुलाई, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-2461(1)/x-2-2008, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
7. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या–2461/X–2–2008–12(12)/2007, दिनांक 20 अगस्त, 2008 का संलग्नक–

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव/प्रोजेक्ट का विवरण	वर्तमान स्वीकृति हेतु चयनित वन प्रभाग	सम्बन्धित वन प्रभाग हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष की वर्तमान स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	नि. 498/35–1 दिनांक 07–10–2006	प्र0व0 अल्मोडा	8465	2333
		प्र0व0 चम्पावत	7906	1706
		प्र0व0 पिथौरागढ़	4741	1477
		प्र0व0 मसूरी	23187	2251
		प्र0व0 अपरयमुना	6070	454
		प्र0व0 टोन्स	21925	3426
2	नि. 81/35–1–बी दिनांक 26–7–2005	बांस एवं रिंगाल वृक्षारोपण से सम्बन्धित विभिन्न प्रभाग	242600	33259
3	नि. 684/35–1 दिनांक 30–11–2006	प्र0व0 टोन्स (ग्राम पासा में जोंकाणी खड्ड तथा पैंसर में कनेउरा खड्ड पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण)	6350	3050
योग			321244	47956

(धनराशि रू0 चार करोड उन्यासी लाख छप्पन हजार मात्र)

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव